भोपाल, दिनांक २५ सितम्बर १९६४.

क्र. ३५३६३-३८१-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर, दिनांक २२ सितम्बर १९६४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रे. शं. त्रिवेदी सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् १९६४

मध्यप्रदेश कोयला उपकर (मान्यताकरण) अधिनियम, १९६४

[दिनांक २२ सितम्बर, सन् १९६४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक २५ सितम्बर १९६४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

कतिपय स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा कोयले पर उपकर के अधिरोपण तथा संग्रहण को मान्य करने के हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय:—

संक्षिप्त नाम.

१. यह अधिनियम मध्यप्रदेश कोयला उपकर (मान्यताकरण) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "मंडल" से तात्पर्य सी. पी. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, १९२० (क्रमांक ४, सन् १९२०), के अधीन गठित इंडिपेंडेंट माइनिंग लोकल बोर्ड, छिंदवाड़ा तथा सी. पी. एन्ड बरार लोकल गवर्नमेंट एक्ट, १९४८ (क्रमांक ३८, सन् १९४८), के अधीन गठित उसके उत्तराधिकारी निकाय, जनपद सभा, छिंदवाड़ा से है;

(ख) "उपकर" से तात्पय उस उपकर से है, जो इंडिपेण्डेण्ट माइनिंग लोकल बोर्ड, छिन्दवाड़ा या उसके उत्तराधिकारी निकाय द्वारा समय-समय पर यथास्थिति उस कोयले, कोयले के चूरे या कोक पर अधिरोपित किया गया हो, जो कि खानों में उत्पादित या निर्मित किया गया हो, राज्य के बाहर निर्यात किये जाने के लिये बेचा गया हो या उक्त मंडल के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर रेल द्वारा निर्यात किये जाने के हतु न होकर अन्यथा बेचा गया हो ;

(ग) "अधिनियमिति" से तात्पर्य यथास्थिति सी. पी. लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट एक्ट, १९२० (क्रमांक ४, सन् १९२०), या सी. पी. एण्ड बरार लोकल गवर्नमेण्ट एक्ट, १९४८ (क्रमांक ३८, सन् १९४८), तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों से है.

उपकर के अधिरोपण, निर्धारण तथा संग्रहण का मान्यताकरण

३. (१) किसी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे उपकरों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की उल्लिखित अधिसूचनाओं / सूचनाओं के अनुसरण में मंडल द्वारा अधिरोपित निर्धारित या संग्रहीत किये गये हों या जिनका वसूल किया जाना निर्धारित या संग्रहीत किये जाने के लिये ऐसी अधिसूचनाओं / सूचनाओं के अनुसरण में प्रस्तावित है किया जाना है सम्पूर्ण प्रयोजनों के लिये यही और सदैव यही समझा जायगा कि वे विधिवत अधिरोपित निर्धारित या संग्रहीत किये गये है मानो कि वह अधिसूचनाएँ जिनके कि अधीन वे इस प्रकार जारी की गई थीं, समस्त सम्बद्ध समयों पर इस प्रकार संशोधित की कि जिससे मंडल को उक्त अधिसूचनाएं / सूचनाएं जारी करने के लिये सशक्त किया जा सके और तदनुसार—

(क) ऐसे उपकर के अधिरोपण, निर्धारण या संग्रहण के सम्बन्ध में मंडल द्वारा या मंडल के किसी पदाधिकारी द्वारा किये गये समस्त कार्यों, की गई समस्त कार्यवाहियों या बातों के सम्बन्ध में समस्त प्रयोजनों के लिये यही और सदैव यही समझा जायगा कि वे विधि के अनुसार किये गये है या की गई है ;

(ख) कोई भी उपकर, जो दिनांक २० मई सन् १९६४ के पूर्व उक्त अधिसूचनाओं / सूचनाओं के अनुसरण में अधिरोपित या निर्धारित किया गया हो किन्तु जो ऐसे दिनांक के पूर्व संग्रहीत न किया गया हो (जहां आवश्यक हो, उपकर के निर्धारण के पश्चात्), उसके लिये उपबंधित की गई रीति में वसूल किया जा सकेगा ;

(ग) इस प्रकार चुकाये गये किसी भी उपकर की वापसी के लिये किसी भी न्यायालय में मंडल या किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राधिकरण के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही न तो की जायगी और न चालू रखी जायगी ;

(घ) कोई भी न्यायालय इस प्रकार चुकाये गये किसी भी उपकर की वापसी का निदेश देनेवाली किसी डिक्री या आदेश को प्रवर्तित नहीं करेगा.

(२) शंकाओं के निवारण के लिये, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (१) की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी भी व्यक्ति को—

(क) अधिनियमिति के उपबन्धों के अनुसार, किसी भी कालावधि के लिये ऐसे उपकर के निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्ति उठाने से ;

(ख) अधिनियमिति के अधीन उससे शोध्य रकम से अधिक चुकाये गये उपकर की वापसी का दावा करने से ;

रोकती है.

मंडल, दर में फेरफार करने से विवर्जित नहीं होगा.

४. इस अधिनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह मंडल को, तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के उपबन्धों के अनुसार उपकर की दर में फेरफार करने से विवर्जित करती है.

निरसन.

५. मध्यप्रदेश कोयला उपकर (मान्यताकरण) अध्यादेश, १९६४ (क्रमांक ५, सन् १९६४), एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

अनुसूची

[धारा ३ देखिये]

१. अधिसूचना दिनांक २२ दिसम्बर १९४३, जो कि सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार लोकल सेल्फ गवनमेन्ट एक्ट, १९२० (क्रमांक ४, सन् १९२०), की धारा ७९ की उपधारा (१) के खण्ड (सोलह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम ६ के खण्ड (बी) के अधीन जारी की गई और "सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार गजट", दिनांक १० मार्च १९४४, भाग ३ के पृष्ठ ८६ पर, श्री एस. एन. लोकरस, आनरेरी सेक्रेटरी, आई. एम. एल. बी. के हस्ताक्षर से प्रकाशित की गई.

२. अधिसूचना दिनांक २९ जुलाई १९४६, जो कि सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट एक्ट, १९२० (क्रमांक ४, सन् १९२०), की धारा ७९ की उपधारा (१) के खण्ड (सोलह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम ६ के खण्ड (बी) के अधीन जारी की गई और "सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार गजट", दिनांक ११ अक्टूबर १९४६, भाग ३ के पृष्ठ ३५० पर, श्री एस. एन. लोकरस, आनरेरी सेक्रेटरी, आई. एम. एल. बी. के हस्ताक्षर से जारी की गई.

३. अधिसूचना क्रमांक २०४-ए, दिनांक १९ जुलाई १९४७, जो कि "सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार गजट", दिनांक २५ जुलाई १९४७, भाग ३ के पृष्ठ ४०६ पर, श्री एस. एन. लोकरस, आनरेरी सेक्रेटरी, आई. एम. एल. बी. के हस्ताक्षर से प्रकाशित की गई.

Bhopal, the 25th September 1964.

No. 35364-381-XXI-A(Dr.).—In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the English translation of the Madhya Pradesh Koyala Upkar (Manyata-karan) Adhiniyam, 1964 (18 of 1964) is hereby published under the authority of the Governor.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

R. G. TRIVEDI, Secy.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 of 1964.

THE MADHYA PRADESH KOYALA UPKAR (MANYATA-KARAN) ADHINIYAM, 1964.

[Received the assent of the Governor on the 22nd September, 1964; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" Extraordinary, on the 25th September, 1964.]

An Act to validate the imposition and collection of cess on Coal by certain local authorities.

BE it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifteenth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Koyala Upkar (Manyata-karan) Adhiniyam, 1964).

Definitions.

2. In this Act unless the context otherwise requires,—

(a) "Board" means the Independent Mining Local Board, Chhindwara, constituted under the Central Provinces Local Self Government Act, 1920 (IV of 1920), and its successor body, the Janapada Sabha, Chhindwara, constituted under the Central Provinces and Berar Local Government Act, 1948 (XXXVIII of 1948);

(b) "Cess" means a cess imposed by the Independent Mining Local Board, Chhindwara, or its successor body, on coal, coal dust or coke, from time to time, as the case may be, produced or manufactured at the mines, sold for export outside the State, or sold otherwise than for export by rail within the territorial jurisdiction of the said Board;

(c) "Enactment" means the Central Provinces Local Self Government Act, 1920 (IV of 1920), or the Central Provinces and Berar Local Government Act, 1948 (No. XXXVIII of 1948), as the case may be, and rules made thereunder.

Validation of imposition, assessment and collection of cess

5. (1) Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any Court, cesses imposed, assessed or collected or purported to have been imposed, assessed or collected by the Board in pursuance of the notifications notices specified in the Schedule shall, for all purposes, be deemed to be and to have always been, validly imposed, assessed or collected as if the enactment under which they were so issued stood amended at all material times so as to empower the Board to issue the said notifications/notices and accordingly:—

(a) all acts, proceedings or things done or taken by the Board or by any officer of the Board in connection with the imposition, assessment or collection of such cess shall, for all purposes, be deemed to be and to have always been done or taken in accordance with law;

(b) any cess imposed or assessed in pursuance of the said notifications/notices before the 20th day of May, 1964 but not collected before such date may be recovered (after assessment of the cess where necessary) in the manner provided therefor;

(c) no suit or other proceeding shall be maintained or continued in any Court against the Board or any person or authority whatsover for the refund of any cess so paid;

(d) no Court shall enforce any decree or order directing the refund of any cess so paid.

(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing in sub-section (1) shall be construed as preventing any person—

(a) from questioning in accordance with the provisions of the enactment, the assessment of such cess for any period.

(b) for claiming refund of the cess paid by him in excess of the amount due from him under the enactment.

Board not debarred from varying rate.

4. Nothing in this Act shall be construed so as to debar the Board from varying the rate of cess in accordance with the provisions of the relevant law for the time being in force.

Repeal.

5. The Madhya Pradesh Koyala Upkar (Manyatakaran) Adhyadesh, 1964 (5 of 1964) is hereby repealed.

Schedule

(*See* section 3)

1. Notification, dated the 22nd December 1943, issued under clause (b) of rule 6 of the Rules made under clause (xvi) of sub-section (1) of section 79 of the Central Provinces and Berar Local Self Government Act, 1920 (IV of 1920), and published in Part III of the "Central Provinces and Berar Gazette", dated the 10th March 1944, at page 86, under the signature of Shri S. N. Lokras, Hony. Secretary, I.M.L.B.

2. Notification, dated the 29th July 1946 issued under clause (b) of rule 6 of the rules made under clause (xvi) of sub-section (1) of section 79 of the Central Provinces and Berar Local Self Government Act, 1920 (IV of 1920), and published in Part III of the "Central Provinces and Berar Gazette", dated the 11th October 1946, at page 350, under the signature of Shri S. N. Lokras, Hony. Secretary, I.M.L.B.

3. Notification No. 204-A, dated the 19th July 1947, published in Part III of the "Central Provinces and Berar Gazette", dated the 25th July 1947, at page 406, under the signature of Shri S. N. Lokras, Hony. Secretary, I.M.L.B.